न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवंउपजिलामजिस्ट्रेट, बारांजिलाबारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धाराअंतर्गत	ग्राम	तहसील
/23	136 LR Act	खैराली	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रामकरण	बनाम	राजस्थान सरकार

वकील :– श्री संजय नागर एड0 **आदेश पत्रक** वकीलः–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
24.1.23	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.03.2023 को पेश हो। (signature)	
16-3-23	पीठासीन अधिकारी वकीलों की हड़ताल में रहने से पूर्ववत दिनांक 18-5-23 को प्रस्तुत हो। (signature) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
18-5-23	पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त में रहने से पूर्ववत दिनांक 19-6-23 को प्रस्तुत हो। (signature) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
19-6-23	पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त में रहने से पूर्ववत दिनांक 1-8-23 को प्रस्तुत हो। (signature) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
1-8-23	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 26-9-23 को प्रस्तुत हो। (signature) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
26-9-23	पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त में रहने से पूर्ववत दिनांक 23-11-23 को प्रस्तुत हो। (signature) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
23-11-23	पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त में रहने से पूर्ववत दिनांक 17-1-24 को प्रस्तुत हो। (signature) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
13-3-24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। मौके तलबी हेतु तलबाना पेश नहीं। पत्रावली वास्ते दिनांक 2-5-24 को पेश हो। [signature]
2-5-24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी गैर हाजिर। तहसीलदार से जवाब, रिपोर्ट भी नहीं। पत्रावली वास्ते जवाब/रिपोर्ट दिनांक 11-6-24 को पेश हो। [signature]
11-6-24	पीठासीन अधिकारी अवकाश में रहने से पूर्ववत दिनांक 1-8-24 को प्रस्तुत हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी [illegible]
30-12-24	पत्रावली आज मेरे समक्ष पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पेशकार तहसीलदार उप०। पेशकार तहसीलदार से जवाब/रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते जवाब/रिपोर्ट दिनांक 19-2-25 को पेश हो। [signature]
19-2-25	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 21-4-25 को प्रस्तुत हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी [illegible]
21/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पेशकार तहसीलदार उप०। पेशकार तहसीलदार/तहसीलदार बांध के लिए [illegible]। जो शा० का० है। बहस वकील प्रार्थी एवं पक्षों सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/4/25 को पेश हो। [signature]
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० का० किया गया। जरिये निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, बांध को भिजवाई जावे। पत्रावली [illegible] कुमार [illegible] नम्बर के नाम से। बाद तामील [illegible] में दाखिल हो। आदेश सुनाया गया। [signature]

निर्णय व इजलास श्री बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 01/23
दायरा दिनांक :– 24.01.2023
निर्णय दिनांक :– 30/4/2025

उनवान

1. रामकरण नागर आयु 45 वर्ष पुत्र श्री अमरलाल जाति धाकड निवासी खैराली तहसील व जिला बारां हाल निवासी 157, गायत्री बिहार 2.रायपुरा, उद्योगपुरी कोटा जिला कोटा राज0

प्रार्थी–

बनाम

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0)

अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट
राजस्व रिकार्ड नाम दुरूस्ती हेतु
निर्णय दिनांक :– 30/4/2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट राजस्व रिकार्ड नाम दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वाके माल खैराली तहसील जिला बारां राज0 में आराजी खाता संख्या नया 302 पुराना 292 से खसरा नं0 993 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 994 रकबा 1. 86 हे0, कुल दो किता रकबा 1.95 हे0, स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदरान की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। उक्त आराजियात में प्रार्थी का 1/20 निहित है। जो आवेदन की विषयवस्तु है। प्रार्थना पत्र की मद् नं0 1 में वर्णित आराजियात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र अमरलाल के स्थान पर सहवन से देवकरण पुत्र अमरलाल गलत दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामकरण पुत्र अमरलाल है, जो प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है। मद् नं0 1 में वर्णित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम रामकरण पुत्र अमरलाल के स्थान पर सहवन से देवकरण पुत्र अमरलाल गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हिस्से की उक्त आराजी पर के.सी.सी. बनवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रह है। बैक द्वारा प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, में मिलान न होने से के.सी.सी बनाने से साफ इन्कार कर दिया है। इस कारण प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसलिये प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद् नं0 1 में अंकित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया अपना नाम देवकरण पुत्र अमरलाल के स्थान पर अपना सही नाम देवकरण पुत्र अमरलाल दर्ज करवा पाने का वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थी द्वारा कई बार राजस्व कर्मचारियों से उसका नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया। अंतिम बार दिनांक 21.12.2022 को प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों से निवदेन किया। किन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में देवकरण पुत्र अमरलाल के स्थान पर सही

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

ग्राम रामकरण पुत्र अमरलाल दर्ज करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। इसलिये आवेदन का कारण दिनांक 21.12.2022 को बारां तहसील क्षेत्र में पैदा हुआ। विवादित आराजियात वाके खैराली तहसील बारां में स्थित है। इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय में अवधि मध्य पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवदेन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्व निम्न आदेश फरमाया जावें कि प्रार्थना पत्र की मद् नं0 1 में अंकित आराजियात राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम देवकरण पुत्र अमरलाल के स्थान पर सही नाम रामकरण पुत्र अमरलाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खैराली सम्वत 2073–76 खाता संख्या नया 302, पुराना खाता संख्या 292, खसरा संख्या 993, 994, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वाके माल खैराली तहसील जिला बारां राज0 में आराजी खाता संख्या नया 302 पुराना 292 से खसरा नं0 993 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 994 रकबा 1.86 हे0, कुल दो किता रकबा 1.95 हे0, स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदरान की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। उक्त आराजियात में प्रार्थी का 1/20 निहित है। उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र अमरलाल के स्थान पर सहवन से देवकरण पुत्र अमरलाल गलत दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामकरण पुत्र अमरलाल है, जो प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है। उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम रामकरण पुत्र अमरलाल के स्थान पर सहवन से देवकरण पुत्र अमरलाल गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हिस्से की उक्त आराजी पर के.सी.सी. बनवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहा है। बैक द्वारा प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, में मिलान न होने से के.सी.सी बनाने से साफ इन्कार कर दिया है। इस कारण प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया अपना नाम देवकरण पुत्र अमरलाल के स्थान पर अपना सही नाम देवकरण पुत्र अमरलाल दर्ज करवा पाने का वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थना पत्र की मद् नं0 1 में अंकित आराजियात राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम देवकरण पुत्र अमरलाल के स्थान पर सही नाम रामकरण पुत्र अमरलाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली एव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबदी ग्राम खैराली सम्वत 2073–76 खाता संख्या नया 302, पुराना 292 खसरा संख्या 993 व 994 प्रार्थी के शामलाती खाते में दर्ज है। तहसीलदार बारां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट अनुसार ग्राम खैराली के ग्रामवासियान तथा परिवारजनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रार्थी के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम खैराली में खाता संख्या 302 खसरा नं0 993/0.09, 994/1.86 कुल किता–2 रकबा 1.95 हे0 आराजियात में रामकरण पुत्र अमरलाल के स्थान पर सहवन से जर्ये फौती नामा0 देवकरण पुत्र अमरलाल गलत दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामकरण पुत्र अमरलाल ही है।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

मौके पर उपस्थित ग्रामवासियान के हस्ताक्षर अंकित है। ग्रामवासियान की जानकारी से दोनों व्यक्तियों का एक ही होना पाया गया। अतः ग्राम खैराली की खाता संख्या 302 पर दर्ज खातेदार देवकरण पुत्र अमरलाल के स्थान पर रामकरण पुत्र अमरलाल तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम खैराली की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 302, पुराना 292 की खसरा नं0 993, 994 कुल किता 2 रकबा 1.95 हे0 व ग्राम खैराली तहसील व जिला बारां की आराजियात में प्रार्थी का नाम देवकरण पुत्र अमरलाल के स्थान पर रामकरण पुत्र अमरलाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

B

(बनवारी लाल बैरवा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड़ अधिकारी बारां